रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257917
CG-DL-E-15102024-257917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 2024/आश्विन 23, 1946
No. 583] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ASVINA 23, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 639(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 192 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 21कक में, -

(i) पार्श्व शीर्षक में, "धारा 89 (1)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 89" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) "धारा 89 की उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "धारा 89" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 26ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**26ख. 'वेतन' या स्रोत पर कटौती किए गए कर या स्रोत पर संग्रहित कर से भिन्न आय के शीर्षों के अधीन आय की विशिष्टियों का विवरण.—** निर्धारिती धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्ररूप सं. 12खकक में, धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर कटौती की गणना के उद्देश्य से निम्नलिखित के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकेगा-

(क) उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त 'वेतन' के भिन्न आय के किसी भी शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय; या

(ख) उसी वित्तीय वर्ष के लिए अध्याय XVII के भाग ख या भाग खख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किए गए कर या स्रोत पर संग्रहित कर ; या

(ग) उसी वित्तीय वर्ष में "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानि, यदि कोई हो ।";

(ग) परिशिष्ट 2 में,-

क. प्ररूप संख्या में 10ङ में,-

(i) शीर्षक में, "धारा 89(1)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 89" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपाबंध 1 में, क्रम संख्या 8 के सामने, "धारा 89(1)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 89" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपाबंध 2 में, क्रम संख्या 12 के सामने, "धारा 89(1)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 89" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iv) उपाबंध 2क में, क्रम संख्या 12 के सामने, "धारा 89(1)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 89" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(v) उपाबंध 3 में, क्रम संख्या 12 के सामने, "धारा 89(1)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 89" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(vi) उपाबंध 4 में, क्रम संख्या 12 के सामने, "धारा 89(1)" शब्द, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 89" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

ख. प्ररूप संख्या 12खक के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् -

"प्ररूप संख्या 12खकक

[नियम 26ख देखें]

धारा 192 की उपधारा (2ख) के प्रयोजनों के लिए विशिष्टियां दर्शित करने वाला विवरण

1. कर्मचारी का नाम और पता :
2. कर्मचारी की [स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या] :
3. वित्तीय वर्ष :

धारा 192 की उपधारा (2ख) के प्रयोजनों के लिए विशिष्टियों के ब्यौरे

क्रम सं.	विशिष्टियां
(1)	(2)
1.	स्रोत पर कटौती किए गए अन्य कर के ब्यौरे –

धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है	कटौतीकर्ता का नाम	कटौतीकर्ता का पता	कटौतीकर्ता का टेन	कटौती किए गए कर की रकम (रुपए)	प्राप्त/जमा की गई आय की रकम	कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)

क्रम सं.	विशिष्टियां
2.	स्रोत पर संग्रहित किए गए कर के ब्यौरे –

धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर संग्रहित किया गया	संग्रहकर्ता का नाम	संग्रहकर्ता का पता	संग्रहकर्ता का टेन	संग्रह किए गए कर की रकम (रुपए)	कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)

क्रम सं.	विशिष्टियां
3.	"गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अधीन हानि

रकम (रुपए)	ब्यौरे
(क)	(ख)

सत्यापन

मैं, ... पुत्र/पुत्री .... यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।

स्थान ....

तारीख .... (कर्मचारी के हस्ताक्षर)

पदनाम .... पूरा नाम :………………";

ग. नियम के प्ररूप सं. 16 में, भाग ख (उपाबंध-1) में, सारणी में, पंक्ति सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"19.	घटाएं : धारा 192(2ख) के उपबंध के अधीन प्रस्तुत किए गए प्ररूप संख्या 12खकक के अनुसार स्रोत पर कटौती किया गया कर			रुपए

20.	घटाएं : धारा 192(2ख) के उपबंध के अधीन प्रस्तुत किए गए प्ररूप संख्या 12खकक के अनुसार स्रोत पर संग्रहित कर			रुपए
21.	सकल संदेय कर (17-18-19-20)			रुपए";

घ. प्ररूप 24थ में, उपाबंध 2 की सारणी में,–

(i) स्तंभ (388) में, "या कटौतीकर्ता (ओं)" शब्द और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) स्तंभ (388) के पश्चात्, निम्नलिखित स्तंभ अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(388) से भिन्न, स्रोत पर कटौती किए गए अन्य कर या स्रोत पर संग्रहित कर की धारा 192(2ख) के अनुसार रिपोर्ट की गई रकम
(388क)";

(iii) स्तंभ (389) में,–

I. "कटौती" शब्द के पश्चात्, "/संग्रहित" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

II. "388" अंक के पश्चात्, "+388क" अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 112/2024/फा. सं. 370142/19/2024-टीपीएल]

खुशबू लाठर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638(अ) तारीख 15 अक्तूबर, 2024 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2024

G.S.R. 639(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 192 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:–

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) in rule 21AA, –

(i) in the marginal heading, for the word, figures and brackets "section 89(1)", the word and figures "section 89" shall be substituted;

(ii) for the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 89", the word and figures "section 89" shall be substituted;

(b) for rule 26B, the following rule shall be substituted, namely :–

"**26B. Statement of particulars of income under heads of income other than "Salaries" or details of tax deducted at source or tax collected at source.—** The assessee may submit to the person responsible for making payment under sub-section (1) of section 192, the details of —

(a) any income chargeable under any head of income other than 'Salaries' received in the same financial year; or

(b) any tax deducted at source or tax collected at source under the provisions of Part B or Part BB of Chapter XVII, for the same financial year; or

(c) loss, if any, under the head "Income from house property" in the same financial year,

in Form No. 12BAA, for the purpose of computing the tax deduction at source under sub-section (1) of section 192.";

(c) in Appendix II,—

(A) in Form No. 10E, –

(i) in the heading, for the word, figures and brackets "section 89(1)", the word and figures "section 89" shall be substituted;

(ii) in Annexure I, against serial number 8, for the word, figures and brackets "section 89(1)", the word and figures "section 89" shall be substituted;

(iii) in Annexure II, against serial number 12, for the word, figures and brackets "section 89(1)", the word and figures "section 89" shall be substituted;

(iv) in Annexure IIA, against serial number 12, for the word, figures and brackets "section 89(1)", the word and figures "section 89" shall be substituted;

(v) in Annexure III, against serial number 12, for the word, figures and brackets "section 89(1)", the word and figures "section 89" shall be substituted;

(vi) in Annexure IV, against serial number 12, for the word, figures and brackets "section 89(1)", the word and figures "section 89" shall be substituted;

(B) after Form No. 12BA, the following Form shall be inserted, namely –

"**FORM NO. 12BAA**

[*See* rule 26B]

Statement showing particulars for the purposes of sub-section (2B) of section 192

1. Name and address of the employee:

2. **[***Permanent Account Number or Aadhaar Number***]** of the employee:

3. Financial year:

DETAILS OF PARTICULARS FOR THE PURPOSES OF SUB-SECTION (2B) OF SECTION 192

Sl. No.	*Particulars*
(1)	*(2)*
1.	Details of other Tax Deducted at Source –

Section under which tax deducted at source	Name of deductor	Address of Deductor	TAN of deductor	Amount of tax deducted (Rs.)	Amount of income received/ credited	Any other relevant details
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

2. Details of Tax Collected at Source –

Section under which tax collected at source	Name of collector	Address of collector	TAN of collector	Amount of tax collected (Rs.)	Any other relevant details
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

3. Loss under the head "Income from house property"

Amount (Rs.)	Details
(a)	(b)

Verification

I, ... son/daughter of .... do hereby certify that the information given above is complete and correct.

Place ....
Date ....
Designation ....

....

(Signature of the employee)
Full Name:………………";

(C) in Form No. 16, in Part B (Annexure-I), in the table, for the row numbered 19 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"19.	Less: Tax deducted at source as per Form No. 12BAA submitted under provisions of section 192(2B)			Rs.
20.	Less: Tax collected at source as per Form No. 12BAA submitted under provisions of section 192(2B)			Rs.
21.	Net tax payable (17-18-19-20)			Rs.";

(D) in Form No. 24Q, in Annexure II, in the table,—

(i) in column (388), the words and brackets "or deductor(s)" shall be omitted;
(ii) after column (388), the following column shall be inserted, namely:—

"Amount reported as per section 192(2B), of other tax deducted at source or tax collected at source, other than (388)
(388A)";

(iii) in column (389), –
(I) after the word "deducted", the word "/collected" shall be inserted;
(II) after the figures "388", the figures and letter "+388A" shall be inserted.

[No. 112/2024/F. No. 370142/19/2024-TPL]

KHUSHBOO LATHER, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 638 (E), dated the 15th October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.